RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ५] सोमवार, फेब्रुवारी २७, २०१७/फाल्गुन ८, शके १९३८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २ जनवरी २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VI OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ सन् २०१७।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नही चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हे, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १८८८ का ३ की धारा १६ में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १६ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ज) में, " सहायक आयुक्त का प्रमाणपत्र " शब्दों के पश्चात्, " या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणपत्र " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १८८८ का ३।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ का ५९ की धारा १० में संशोधन।

३. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १०, की, उप-धारा (१), के खण्ड (ट) में, " संबंधित निगम के प्रभाग अधिकारी का प्रमाणपत्र " शब्दों के पश्चात्, " या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणपत्र " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १९४९ का ५९।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का ४० की धारा १६ में संशोधन।

४. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा १६ की, उप-धारा (१), के खण्ड (ड) में, " संबंधित परिषद के प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र " शब्दों के पश्चात्, " या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणपत्र " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १९६५ का ४०।

वक्तव्य।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १६, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा १० और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का ४०) की धारा १६, क्रमशः, सुसंगत अधिनियम के अधीन, निगम या परिषद के लिये निर्वाचित होने या पार्षद बनने के लिये व्यक्ति की निरर्हता के लिये उपबंध करती हैं।

केंद सरकार के **स्वच्छ भारत अभियान** के तत्वावधान के अधीन, राज्य में, **स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान** (नगरीय) कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य अभियान कार्यान्वित करने और शहरों को मलोत्सर्ग-मुक्त बनाने में पार्षदों की महत्त्वपूर्ण भूमिका की सुनिश्चिति करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियमों की धारा १६ की उप-धारा (१), धारा १० की उप-धारा (१) तथा धारा १६ की उप-धारा (१), एक नये खण्ड, जो उपबंध करता है कि, व्यक्ति जो, संबंधित सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग अधिकारी या, यथास्थिति, संबंधित निगम या परिषद के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यह प्रमाणित करनेवाला कि, वह अपने स्वयं के आवास में निवास करता है और ऐसे आवास में शौचालय हैं और वह नियमित रूप से ऐसे शौचालय का उपयोग करता है ; या वह अपने स्वयं के आवास में निवास नहीं करता है और ऐसे आवास में शौचालय है और वह उसका नियमित रूप से उपयोग करता है या ऐसे आवास में शौचालय नहीं हैं किंतु सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय का नियमित रूप से उपयोग करता है, दिया गया उस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होता हैं, तब तद्धीन निरर्ह बनेगा, कि निविष्टि द्वारा, महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १९, सन् २०१६ द्वारा संशोधित की गई हैं। उक्त, सन् २०१६ का महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १९, २ जनवरी, २०१७ से प्रवर्तमान में लाया जानेवाला है।

२. विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन, फरवरी और मार्च, २०१७ महीनों में ली जानेवाली हैं। ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति में, नगरीय स्थानीय निकायों में भाग लेने में इच्छुक व्यक्तियों द्वारा सामना की गई कठिनाईयों का विचार करते हुये, ऐसा आवश्यक प्रमाणपत्र, संबंधित उम्मीदवार द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकेगा, का उपबंध करने की दृष्टि से, उक्त धाराएँ संशोधित करना इष्टकर समझा गया हैं।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३), महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,

दिनांकित १ फरवरी २०१७।

चे. विद्यासागर राव,

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,

सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.